अध्याय XIV : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

14.1 अप्रयुक्त सहायता अनुदान की गैर वसूली

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मार्च 2015 में ₹1.27 करोड़ की सहायता अनुदान जारी किए जाने के बावजूद भी हिमालयी क्षेत्र खेलों का आयोजन करने तथा असम राज्य सरकार से ₹62.44 लाख के ब्याज सहित अप्रयुक्त सहायता अनुदान की वसूली करने में विफल रहा।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005[1] का नियम 212 उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के तंत्र के माध्यम से अनुदानों के उपयोग की निगरानी की परिकल्पना करता है कि उसमें यह प्रकटन शामिल हो कि निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह संस्वीकृत की गई थी तथा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि का सरकार को अभ्यर्पण किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने 2014-15 के लिए संघ बजट को प्रस्तुत करते समय हिमालयी क्षेत्रों में राज्यों[2]/ देशों की अनोखी खेल परम्पराओं को बढ़ावा देने तथा खेल की स्पर्धा में भाग लेने हेतु नेपाल तथा भूटान जैसे देशों को आमंत्रित करके वहां रह रहे बहुसंख्यक लोगों को एक आम मंच पर लाने के लिए एक वार्षिक खेल स्पर्धा की घोषणा (जुलाई 2014) की।

तदनुसार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमओवाईएएस) ने एक वार्षिक खेल स्पर्धा का आयोजन करने का निर्णय लिया तथा एक योजना नामत: हिमालयी क्षेत्र खेल उत्सव (बाद में हिमालयी क्षेत्र खेल के रूप में पुन: नाम दिया गया) तैयार की गई थी। योजना के अंतर्गत आठ प्रकार[3] के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना था तथा गुवाहाटी (असम) अथवा इम्फाल (मणिपुर) का प्रत्येक वर्ष एचआरजी का आयोजन करने हेतु पहचान की गई थी जिससे कि

---

1 सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 का नियम 239 अनुदान प्रदान करने के लिए समान प्रावधान है।

2 जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तरपूर्वी राज्य

3 तीरंदाजी, दौड़, बॉक्सिंग, फुटबाल, जूड़ो, टायक्वांडो, कुश्ती तथा तलवारबाजी

स्थायी खेल अवसंरचना को सृजित तथा प्रत्येक वर्ष उसका उपयोग किया जा सके।

एमओवाईएएस हिमालयी क्षेत्र खेलों (एचआरजी) का आयोजन करने हेतु ₹ पांच करोड़ की निधियों की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान लगाया। एमओवाईएएस ने गुवाहाटी, असम में खेलों का आयोजन करने का निर्णय (दिसंबर 2014) लिया। बाद में, एमओवाईएएस ने असम की राज्य सरकार (एसजीओए) को तैयारी गतिविधियां हेतु राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में ₹1.27 करोड़ जारी (मार्च 2015) किए क्योंकि वर्ष 2014-15 के दौरान एचआरजी हेतु कोई अलग बजट प्रावधान नहीं था।

आगे, फरवरी माह 2016 में एचआरजी का आयोजन करने की योजना की गई थी। तथापि, इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका था क्योंकि 05 और 16 फरवरी 2016 के बीच की अवधि के दौरान गुवाहाटी में 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ₹21.00 करोड़ (2017-18 में ₹15.00 करोड़, 2018-19 में ₹5.00 करोड़ तथा 2019-20 में ₹1.00 करोड़) के पृथक बजट प्रावधान को इस उद्देश्य हेतु आबंटित किए जाने के बावजूद अनुवर्ती वर्षो में एचआरजी का आयोजन नहीं कर सका था।

परिणामस्वरूप, कोई व्यय नहीं किया गया था तथा इस प्रकार मार्च 2015 में जारी ₹1.27 करोड़ अप्रयुक्त रहे।

इसे इंगित किए जाने (जून 2018 तथा जनवरी 2020) पर एमओवाईएएस ने बताया (जून 2018 तथा जनवरी 2020) कि भारतीय ओलंपिक संघ से पर्याप्त प्रतिक्रिया की कमी के कारण कई बार तिथियों को अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद भी स्पर्धा का आयोजन नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्ति, उन्होंने एसजीओए से ₹1.27 करोड़ की वापसी की मांग नहीं की थी क्योंकि वे वर्ष 2018-19 के दौरान स्पर्धा का आयोजन करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे थे। हालांकि, एमओवाईएएस, ने बताया (फरवरी 2020) कि उन्होंने एसजीओए से ₹1.27 करोड़ तथा इस पर ब्याज सहित वापसी की मांग (सितम्बर 2019) की थी जिसे अभी तक वापस नहीं किया गया है।

इस प्रकार, एमओवाईएएस न केवल ₹1.27 करोड़ के निर्गम के बावजूद 2014-15 में खेलों का आयोजन करने में विफल रहा बल्कि उसने फरवरी 2020 तक ₹62.44 लाख ब्याज सहित उक्त राशि की एसजीओए से वसूली भी नहीं की थी।

नई दिल्ली **(सुनील दाढे)**

दिनांक: 19 फरवरी 2021 **महानिदेशक लेखापरीक्षा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चन्द्र मुर्मू)**

दिनांक: 25 फरवरी 2021 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**